"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 360] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 अगस्त 2017 — श्रावण 26, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्रमांक 7617/डी. 184/21-अ/प्रारू./छ. ग./17 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 14-08-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 10 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह विधेयक छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में,-

(क) खण्ड (9) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(9-क) "होटल" से अभिप्रेत है ऐसा भवन या ऐसे भवन का भाग, जहां आवासीय सुविधा, वाणिज्यिक उद्देश्य से, मौद्रिक विमर्श हेतु प्रदान की जाती है;"

(ख) खण्ड (13) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(13-क) "मदिरा दुकान" से अभिप्राय होगा फुटकर दुकान, जिन्हें मदिरा दुकान के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है तथा इसमें होटल तथा सामान्य मद्यपान गृह सम्मिलित नहीं होगा;"

(ग) खण्ड (16) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(16-क) "मदिरा का विक्रय" से अभिप्रेत है मदिरा दुकान के परिसर से अन्यत्र स्थान पर क्रेता द्वारा उपभोग के लिये, मदिरा दुकान द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के पश्चात् मदिरा का प्रदाय;"

(घ) खण्ड (17) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(17-क) "मदिरा की आपूर्ति" से अभिप्रेत है होटल तथा सामान्य मद्यपान गृह में अनुज्ञप्ति के आधार पर, प्रतिफल हेतु मदिरा का प्रदाय इस शर्त पर करने हेतु जारी किया गया है कि ऐसे मदिरा का उपभोग, ऐसे होटल तथा सामान्य मद्यपान गृह के परिसर के भीतर ही किया जाएगा;"

धारा 17 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 17 में, उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(3) मदिरा का विक्रय अथवा आपूर्ति,- (क) मदिरा के विक्रय की अनुमति केवल अनुज्ञप्ति प्राप्त ऐसे मदिरा दुकानों के माध्यम से दी जाएगी जो राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग अथवा ऐसे राजमार्ग के सर्विस रोड के बाह्य रेंज से 500 मीटर की दूरी की परिधि के भीतर अवस्थित नहीं होगी तथा ऐसे मदिरा दुकान राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग से प्रत्यक्ष दृश्यमान न हो और न ही सीधे पहुंच में हो;

(ख) किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, होटल, जिसके पास अनुज्ञप्ति है, ऐसे होटल के परिसर के भीतर, ऐसी मदिरा के उपभोग

हेतु सदस्यों, मेहमानों या अन्य व्यक्तियों को मदिरा की आपूर्ति करने हेतु पात्र होगा चाहे ऐसा होटल, किसी राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग पर या उसके निकट अवस्थित हो;

(ग) किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी होटल एवं सामान्य मद्यपान गृहों को मदिरा के विक्रय के लिये जारी की गई अनुज्ञप्ति को, सदैव मदिरा की आपूर्ति के लिए जारी किया गया समझा जायेगा तथा इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियमों के समस्त सुसंगत प्रावधान निरंतर लागू रहेंगे जैसे कि वे मदिरा के विक्रय पर थे.

स्पष्टीकरण - संदेह के निराकरण के लिये, एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है समस्त कर, ड्यूटी, उपकर अथवा अन्य करारोपण, जैसा कि मदिरा के विक्रय हेतु लागू है, जब तक कि इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन निर्मित किसी अन्य अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, मदिरा के विक्रय पर लागू होंगे."

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्रमांक 7617/डी. 184/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-8-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2017)

THE CHHATTISGARH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2017

An Act further to amend the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915).

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Excise (Amendment) Act, 2017.

(2) It extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2,-

(a) after clause (9), the following shall be inserted, namely :-

"(9-a) "hotel" means a building or part of a building wherein residential accommodation is provided, for business purpose, for a monetary consideration;"

(b) after clause (13), the following shall be inserted, namely :-

"(13-a) "liquor vends" shall mean retail shops that are licensed to sell liquor and shall not include any hotels or common drinking house;"

(c) after clause (16), the following shall be inserted, namely :-

"(16-a) " Sale of liquor" means the transfer of liquor from a liquor vend after receiving consideration for consumption by the purchaser at a place other than the premises of the liquor vend;"

(d) after clause (17), the following shall be inserted, namely :-

"(17-a) " Supply of liquor" means the provision of liquor for consideration at hotels and common drinking house on the basis of license that is issued on the condition that such liquor shall be consumed within the premises of such hotels and common drinking house;"

Amendment of Section 17.

3. In Section 17 of the Principal Act, after sub-section (2), the following shall be added, namely :-

"(3) Sale or supply of liquor,- (a) The sale of liquor shall be permitted only through licensed liquor vends, which shall not be located within 500 meters radial distance from the outer range of the National or State Highway or Service Lane along such highway and such liquor vends shall neither be directly visible nor accessible from such National or State Highway;

(b) Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any Court, Tribunal or Authority, hotels having a license shall be entitled to engage in the supply of liquor to members, guests or other persons for consumption of such liquor within the premises of such hotels, irrespective of whether such hotel is located on or near any National or State highway;

(c) Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any Court, Tribunal or Authority, any license issued to any hotel and common drinking house for the sale of liquor shall be deemed to have been always issued for the supply of liquor and all relevant provisions of this Act and the rules made thereunder shall continue to apply as they did for sale of liquor.

Explanation - For the removal of doubt, it is hereby clarified that all taxes, duties, cess or other levies as applicable to sale of liquor shall apply to supply of liquor unless otherwise specified in this Act or any other Act, rule or notification made thereunder."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.